रजि.ए.डी.

<u>पश्चिम मध्य रेलवे</u>

सं WCR/P-WRS/135/7/4 भाग–IX

कार्यालय, मुख्य कारखाना प्रबन्धक,
माल डिब्बा मरम्मत कारखाना,कोटा
दिनांक : 26 / 09 / 2019

मुख्य कार्यापालन अधिकारी,
एमपी ऑनलाइन-लिमिटेड,
डी.वी.सिटी कोपोरेट पार्क,
अरेरा हिल्स अपोजिट, जोन–1
एम.पी.नगर, भोपाल (एमपी)

विषयः– कोटा कारखाना पश्चिम मध्य रेल में अप्रेन्टिस एक्ट 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षुओं(ट्रेड अप्रेन्टिस) की भर्ती हेतु एमपी ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन लिये जाने के संबंध में।

*****

उपरोक्त विषय अन्तर्गत लेख है कि कोटा कारखाना, पश्चिम मध्य रेल मे अप्रेन्टिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत प्रशिक्षुओं (ट्रेड अप्रेन्टिस) का चयन करने की भर्ती हेतु 160 रिक्तियो की अधिसूचना जारी करने व उम्मीद्वारो के आवेदन पंजीयन करने के प्रस्ताव पर सक्षम अधिकारी मुख्य कारखाना प्रबंधक,कोटा का अनुमोदन प्राप्त है।.

कृपया एमपी ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था करने का कष्ट करें। आवेदन दिनांक 01 / 10 / 2019 से 31 / 12 / 2019 तक प्राप्त किये जा सकेगे। तदोपरान्त प्राप्त आवेदनों की अंकसूची के आधार पर मैरिट सूची बनाकर कार्यालय को उपलब्ध करायेगे। उक्त कार्य हेतु एमपी ऑन लाइन लिमिटेड को निर्धारित पोर्टल शुल्क (70रू +18 % GST) प्रत्येक अभ्यर्थी से लिये जाने की स्वीकृत प्रदान की जाती है।

अतः आप से अनुरोध है कि नियत समय में आवेदन प्राप्त कर एकत्रित करें।

सलग्नः– 4 (अधिसूचना दिनांक 20 / 09 / 19)

26.9.19

(संजय कुमार)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी(का.), कोटा

LI-ACT-APP/ACT APP-2019/ WCR-P-WRS-135-7-4-VOL-VII-2019-(PG-57) A

पश्चिम मध्य रेलवे

स. WCR/P-WRS/135/7/4 भाग-VIII

कार्यालय, मुख्य कारखाना प्रबन्धक,
माल डिब्बा मरम्मत कारखाना,प.म.रे.
कोटा पिन नं. 324002 (राज.)

दिनांक : 20/09/2019

बिज्ञापन क्रमांक सं. 01/2019--20 माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, कोटा

अधिसूचना

विषयः– अप्रेन्टिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत एक्ट प्रशिक्षुओं (ट्रेड अप्रेन्टिस) की Engagement – पश्चिम मध्य रेल, कारखाना, कोटा।

*****

अप्रेन्टिस एक्ट 1961 तथा अप्रेंटिस नियम 1962 के अधीन प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, कोटा में 160 एक्ट प्रशिक्षुओं को Engagement हेतु निम्नलिखित शर्तो को पूरा करने वाले उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमन्त्रित किये जाते है। यदि अधिसूचना में उल्लेखित कोई आवश्यक कागजात संलग्न नही किया गया होगा तो आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

1 अप्रेन्टिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु विभागवार निम्न कोटिंयों से प्रशिक्षुओं की भर्ती निम्नानुसार पदो पर होगी :–

क्र. सं.	ट्रेनिंग का स्थान	ट्रेड	कुल पदों का योग	UR	SC	ST	OBC	EWS	विकलांग			भू.पू. सैनिक	एन.सी.व्ही.टी. / एस.सी.व्ही टी से मान्यता प्राप्त आवश्यक आई.टी.आई.
									HH	VH	OH		
1.	माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, कोटा	फिटर	70	29	10	05	19	07	01	01	-	02	10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन 10वीं या इसके समकक्ष परीक्षा कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण तथा फिटर ट्रेड में ITI उत्तीर्ण
2.	माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, कोटा	वेल्डर (GAS & Electric)	66	26	10	05	18	07	01	-	01	02	10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन 10वी या इसके समकक्ष परीक्षा कम से कम 50% अको के साथ उत्तीर्ण तथा वेल्डर (G& E) ट्रेड मे ITI उत्तीर्ण

20.9.19

जारी 2

क्र. सं.	ट्रेनिंग का स्थान	ट्रेड	कुल पदों का योग	UR	SC	ST	OBC	EWS	विकलांग			भू.पू. सैनिक	एन.सी.व्ही.टी. / एस.सी.व्ही टी से मान्यता प्राप्त आवश्यक आई.टी.आई.
									HH	VH	OH		
3.	माल डिब्बा मरम्मत कारखाना कोटा	COPA	03	02	00	00	01	-	-	-	-	-	10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन 10वी या इसके समकक्ष परीक्षा कम से कम 50% अंको के साथ उत्तीर्ण तथा COPA ट्रेड में ITI उत्तीर्ण
4.	माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, कोटा	पेन्टर	11	04	02	01	03	01	-	-	-	-	10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन 10वी या इसके समकक्ष परीक्षा कम से कम 50% अंको के साथ उत्तीर्ण तथा पेन्टर ट्रेड में ITI उत्तीर्ण
5.	माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, कोटा	मशीनिष्ट	10	03	02	01	03	01	-	-	-	-	10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन 10वी या इसके समकक्ष परीक्षा कम से कम 50% अंको के साथ उत्तीर्ण तथा मशीनिष्ट ट्रेड मे ITI उत्तीर्ण
		कुल =	160	64	24	12	44	16	02	01	01	04	

1-1 शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारो में से सेरेबल पॉलिसी एवं बहरे विकलांग उम्मीदवार जो 40 प्रतिशत तथा उससे अधिक हो आवेदन हेतु योग्य होगें। विकलांगो के लिए आरक्षण नियमानुसार दिया जायेगा।

1-2 निम्नलिखित विवरण के अनुसार अप्रेन्टिस हेतु भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी, उनके बच्चो तथा आर्म फोर्स के जवानो के बच्चो हेतु 3 प्रतिशत आरक्षित रहेंगे (i) प्रभावित / अपंग भूतपूर्व सैन्य कर्मचारियों के बच्चो जिसमें शांतिकाल के दौरान प्रभावित / अपंग भूतपूर्व सैन्य कर्मचारियों के बच्चे भी शामिल है, (ii) भूतपूर्व कर्मचारियों के बच्चे, (iii) सेवारत जवानो के बच्चे (iv) सेवारत अधिकारियों के बच्चे, (v) भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी।

1-3 सामान्य समुदाय के पदो में विकलाग, भू.पू.सैनिको का कोटा सम्मिलित है। यदि उपयुक्त में अन्य पिछडा वर्ग, भू.पू.सैनिक एवं विकलाग कोटे के आरक्षित उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हुए तो उन पदो को अनारक्षित उम्मीदवार से भरा जाएगा।

1-4 जिन उम्मीदवारो ने पूर्व में किसी संस्थान से एक्ट अप्रेन्टिस 1961 का प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा है वह आवेदन करने का पात्र नही है।

जारी......3

2. **आयु सीमा** :–

2-1 दिनांक **05/11/2019** को उम्मीदवार 15 वर्ष की आयु पूर्ण किया तथा 24 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किया होना चाहिए।

2-2 अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों को 05 वर्ष तक अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है।

2-3 अ.पि.वर्ग के उम्मीदवारों को 03 वर्ष तक अधिकतम आयुसीमा में छूट दी गई है।

2-4 शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों की अधिकतम आयुसीमा में 10 वर्ष की छूट होगी।

2-5 भू.पू.सैनिको को नियमानुसार छूट देय है।

3. **शैक्षणिक योग्यता** :–

मुख्यालय के निर्देशानुसार भर्ती किये जाने वाले एक्ट अप्रेन्टिस 1961 की स्लोट का 20% पदो को मान्यता प्राप्त संस्थान से 10 वीं या समकक्ष परीक्षा (10+2 परीक्षा प्रणाली) में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण से भरे जायेगे। शेष पदो के लिऐ साथ में संगत ट्रेड में आई टी आई होना अनिवार्य है।

4. **प्रशिक्षण अवधि**:–आरडीएटी/फरीदाबाद के नियमानुसार एवं रेलवे बोर्ड से जारी निर्देशानुसार।

5. **पारिश्रमिक/स्टाईफण्ड** :–वर्तमान प्रचलित नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

6. **आन लाइन आवेदन करने का तरीका** :

6-1 आवेदन पत्र एमपी आनलाइन पोर्टल के माध्यम से दिनांक **04/10/2019** से**05/11/2019** समय 17-00 बजे तक भरा जायेगा। प्रत्येक उम्मीदवार को रू.**100** प्रक्रिया शुल्क के रूप में तथा रू. **70+18** प्रतिशत जी.एस.टी. एमपी आनलाइन पोर्टल शुल्क के रूप में भुगतान ऑन लाइन करना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति ,शारीरिक विकलाग एवं महिला उम्मीदवारो के लिऐ प्रकिया शुल्क मे छूट है, इनसे सिर्फ पोर्टल शुल्क के रूप मे रू. **70+18** प्रतिशत जीएसटी लिया जायेगा। इच्छुक उम्मीदवार **www.mponline.gov.in वेबसाइट** मे जाकर **home page esa application option** में जाकर **west central railway click** करे।

6-2 आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आश्वस्त होना चाहिए कि वे योग्यता तथा अन्य अर्हता पूरे कर लिए है। अपेक्षित योग्यता पूरा नही होने पर मुख्य कारखाना प्रबन्धक, माल डिब्बा मरम्मत कारखाना कोटा द्वारा किसी भी स्तर पर आवेदन को रद्ध करने का अधिकार रखता है तथा यदि भूलवश भी भर्ती हो गई हो तो उन उम्मीदवारों को बिना किसी सूचना के प्रशिक्षण से बर्खास्त कर दिया जाएगा।

6-3 सभी प्रमाण पत्रो की प्रतियां राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित होनी चाहिए तथा उस पर मुहर लगी होने चाहिए एवं सत्यापित करने वाल अधिकारी का नाम लिखा होना चाहिए।

7. **अन्तिम तिथि**:– **On line** आवेदन करने की अन्तिम तिथि **05/11/2019** समय **17-00** बजे तक वैध है।

8. **भर्ती की प्रणाली** :

8-1 एक्ट अप्रेन्टिस का चयन 10वीं या समकक्ष परीक्षा (**10+2** परीक्षा प्रणाली) के प्राप्तांको के आधार पर किया जायेगा।

8-2 अपेक्षित एक्ट अप्रेन्टिस की संख्या के 1.5 गुणांक के बराबर उम्मीदवारो को मूल प्रमाण पत्रो के सत्यापन तथा उनके शारीरिक स्वास्थ्य की परीक्षा के लिये बुलाया जायेगा।

8-3 उम्मीदवारों की अन्तिम सूची बद्धता कारखाना, कोटा के लिए प्रयोज्य उपयुक्त चिकित्सा जॉच के बाद ही होगी।

8-4 सत्यापन के लिए आने वाले उम्मीदवारों को दैनिक भत्ता या यात्रा भत्ता देय नही होगा।

8-5 होस्टल आवास प्रदान नही किया जाएगा तथा अप्रेन्टिस एक्ट 1961 के अनुसार प्रशिक्षण के दौरान चयनित उम्मीदवारो को अपनी रहने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

नोटः– यदि चयन के समय भर्ती प्रक्रिया मे नितिगत परिवर्तन होते है तो तदानुसार चयन का मापदण्ड अपनाया जायेगा।

जारी 4

9. एक्ट प्रशिक्षण का कोर्स पास करने के बाद रेलवे में नियुक्ति की कोई गारन्टी नही है।

10. ट्रेनिंग का करार :–

10-1 उपर्युक्त पदनाम वाले ट्रेडमार्क से अप्रेन्टिस ट्रेनिंग शुरू होने के पहले चयनित उम्मीदवार या यदि अभी वह नाबालिग है तो उसके अभिभावक को एम्पलायर के साथ अप्रेन्टिसशिप का करार करना होगा।

11. चिकित्सा परीक्षण :–

11-1 चयनित अभ्यार्थियों को रेलवे द्वारा निर्धारित प्रर्फोमा पर सरकारी डॉक्टर का मेडिकल स्वास्थ प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

11-2 प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर शिक्षुता करार समाप्त हो जाएगा। शिक्षुओं को अपना प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें महानिदेशक/डायरेक्टर जनरल रोजगार प्रशिक्षण श्रम व रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित अखिल भारतीय स्तर पर दस्तकारी परीक्षा देनी होगी। सफल उम्मीदवार को राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा परन्तु प्रशिक्षण के बाद रेलवे में नियुक्ति की कोई गारन्टी नही है।

12. उम्मीदवारों के आवेदन की स्वीकृति या उम्मीदवारों के चयन तथा उनके प्रशिक्षण के सम्बन्ध में प्रशासन का निर्णय अन्तिम होगा। यदि यह पाया गया कि चयानित उम्मीदवार ने अपने विश्वसनीयता के सापेक्ष में गलत/झूटी सूचनाएं दी है तो उन्हें किसी भी स्तर पर बिना सूचना दिये निकाल दिया जाएगा।

13. प्रशिक्षण हेतु उम्मीदवारों के चयन तथा उनके प्रशिक्षण के संबन्ध में प्रशासन का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, 20.9.19
कारखाना, कोटा

प्रतिलिपि :–
महाप्रबन्धक (स्था./यॉत्रिक),पश्चिम मध्य, रेलवे, जबलपुर/म.रे.प्र.(स्था.) कोटा/भोपाल/जबलपुर।
मुख्य कारखाना प्रबन्धक, सा.डि.पु.का.–भोपाल। जिला नियोजन अधिकारी, कोटा/जिला सैनिक बोर्ड कोटा
अध्यक्ष हरिजन सेवक संघ, कोटा। अखिल भारतीय एससी/एसटी एम्पलाईज एसो. रेलवे स्टेशन कोटा जं.।
मुख्य कार्यालय एवं शॉप कार्यालय नौटिस बोर्ड। वरि.स.वि.सला.(का.)कोटा/उप भण्डार नियंत्रक(का.)कोटा/ सहा.नि.प्र.(बिजली)कोटा। पोस्ट कमाण्डर रे.सु.बल (का.) कोटा।
एसएसई–मिस./यार्ड/लुहार/मशीन/निरीक्षण/पीसीओ/योजना/पहिया/सीटीआरबी/ आरबी/बीआर/उत्थापन/एलपीजी/बॉक्स/पेन्ट/प्रयोगशाला/बीटीसी/सीडीआर/आई.एस.ओ./ सेफ्टी/मोडनाईजेशन/कार्य।
मु.का.अ.स्था.–1,2,3,4, गोपनीय/आरक्षण/सामान्य/टाइपिंग/बजट/डब्ल्यू–1, 2/यूनियन/कम्प्यूटर/डीएआर/समय कार्या./ कल्याण अनु./जेनीटर/केन्टीन मैनेजर (का.) कोटा।
सचिव, वे.से.रे.ए.यू./वे.से.रे.म.सघ/ओबीसी/एससी–एसटी एसो.(का) कोटा।
क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय तीसरी मंजिल–"ए"विंग न्यू सीजीओ भवन एनएच–4, फरीदाबाद 121001 (हरियाणा)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड D.B.City Corporate Park, Arera Hills Opp. ZONE-1 भोपाल (M.P.)–462011 (shashi raghwendra @ mp on line. gov.in) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

20.9.19

F-I-ACT APP/ACT APP-2019 NEW/ACT APP-1961 NITIFICATION-AUG-2019 (P-1-4)